

विकास के लिए योजनाएँ

स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए पांच-सालाना योजनाएँ बनाई जाने लगी हैं। तुम सोच रहे होंगे, कैसी होगी पूरे देश के लिए बनी योजना। इसमें क्या-क्या होगा? कैसे बनेगी? कौन बनाएगा? हाँ, पूरे देश के लिए योजना बनाना काफी मुश्किल है। खासकर जब योजना बनाते समय देश के सभी लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। यह एक व्यक्ति के बस का काम नहीं- इसमें बहुत से व्यक्ति लगते हैं।

सबसे पहले देश की समस्याओं को कुछ क्षेत्रों में बाँटा जाता है, जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, यातायात व संचार, सामाजिक सेवाएँ आदि। इनका आकलन किया जाता है। इसके लिए पूरे देश भर से कई आँकड़े इकट्ठे किए जाते हैं- जैसे कृषि के क्षेत्र में -

1. कितनी भूमि कृषि करने लायक है।
2. कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है।
3. कितनी ज़मीन सिंचित है कितनी असिंचित। फसल का कुल उत्पादन कितना है। कितनी ज़मीन पर सिंचाई हो सकती है।
4. हर एकड़ पर कितना उत्पादन होता है।
5. कितने लोग कृषि में काम करते हैं- रोज़गार कितना मिलता है, इनकी क्या समस्याएँ हैं।
6. किसानों को सरकारी बीज, खाद, ऋण कितना उपलब्ध हो रहा है।

ऐसे ही बहुत सारे आँकड़े हर क्षेत्र के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। तुम सोच सकते हो कि पूरे देश से ये आँकड़े इकट्ठे करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत होगी। इसके लिए कई राष्ट्रीय संगठन हैं- नेशनल सैम्पल सर्वे, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान आदि।


एक बार आँकड़े इकट्ठे हो जाएँ तो समस्याएँ ठोस रूप से सामने आती हैं- किन चीज़ों का उत्पादन कम है और उनकी कितनी कमी है? रोज़गार की कितनी कमी है? पीने का पानी कितनी जगहों पर नहीं है? बच्चे कितने हैं और स्कूलों की कितनी कमी है? ऐसी बहुत सी समस्याएँ स्पष्ट होती हैं। एक बार समस्याएँ स्पष्ट हो जाएँ तो पांच सालों के लिए योजना बनाने का काम शुरू होता है।

पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक आयोग है - योजना आयोग, जिसका गठन 1950 में हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री ही रहता है। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है जो योजना बनाने के पूरे काम को संचालित करता है। आयोग के कई सदस्य होते हैं- मंत्री, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, दूसरे विशेषज्ञ, कुछ विभागों के सचिव आदि।

योजना बनाते समय योजना आयोग के सदस्यों में खूब बहस होती है। कृषि के विकास के लिए क्या उद्देश्य रखे जाएं- और उद्योग के विकास के लिए क्या उद्देश्य हो व इन्हें पूरा करने के तरीकों पर भी सब के अपने-अपने मत और विचार होते हैं।

इन सब बहसों के बाद योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव बनाती है। सभी प्रांतों के मुख्य मंत्रियों की एक समिति है - राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विचार और बहस करती है और संशोधन के सुझाव देती है।

इसके बाद संसद में योजना के प्रस्ताव पर विचार, चर्चा और संशोधन होते हैं। जब संसद योजना को पारित कर देती है तभी वह पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है।



संसद के बाद सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक के लिए बनाई गई। उसके बाद 6 और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं और अब 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है।

ये योजनाएं इस प्रकार हैं-

1951-56	पहली पंचवर्षीय योजना	1956-61	दूसरी पंचवर्षीय योजना
1961-66	तीसरी पंचवर्षीय योजना	1966-69	तीन वार्षिक योजनाएं
1969-74	चौथी पंचवर्षीय योजना	1974-79	पांचवीं पंचवर्षीय योजना
1979-80	वार्षिक योजना	1980-85	छठवीं पंचवर्षीय योजना
1985-90	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1990-92	वार्षिक योजनाएं
1992-97	आठवीं पंचवर्षीय योजना		

इन योजनाओं में करोड़ों नहीं, हज़ारों करोड़ रुपए यानी अरबों रुपए खर्च होते हैं। पंचवर्षीय योजना पर खर्च करने के लिए सरकार को बहुत से पैसों की ज़रूरत होती है। ये पैसे सरकार टैक्स, उधार (देशी व विदेशी) आदि से पूरा करने की कोशिश करती है।

हर योजना के सभी उद्देश्य पूरे नहीं होते। कई कमियां रह जाती हैं। नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सरकार किस तरह हर क्षेत्र के लिए योजना बनाती है और उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, ये हम अगले पाठों में कृषि, उद्योग व गरीबी दूर करने की विस्तृत योजनाओं के उदाहरणों से समझेंगे।